



Neutral Citation No. – 2026:AHC:65536

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 34598/2025

सोहन लाल एवं 2 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता

: प्रदीप कुमार

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता

: जी.ए., सुनील कुमार

न्यायालय संख्या – 81

माननीय न्यायमूर्ति चावन प्रकाश

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. वर्तमान आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 5, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17.02.2023 को पारित आक्षेपित समन आदेश तथा आपराधिक परिवाद वाद संख्या 562 वर्ष 2022 (लल्ली देवी बनाम सोहन लाल एवं अन्य), धारा 365 भारतीय दंड संहिता, थाना थरवाई,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जनपद इलाहाबाद की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकगण के विरुद्ध विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, इलाहाबाद के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन पूर्णतः झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया था कि परिवादिनी के पति की वर्ष 2010 में मृत्यु के पश्चात् आवेदकगण ने उसकी भूमि हड़पने के उद्देश्य से परिवादिनी के पुत्र को गायब कर दिया। उक्त आवेदन को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया और आवेदकगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 27 वर्ष 2020, धारा 323, 506, 420, 364 भारतीय दंड संहिता, थाना थरवाई, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान अरुण कुमार, बच्चा यादव, कमलेश कुमार एवं संतोष नामक साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि मोहन लाल का पुत्र संजीत कमजोर मानसिकता का था तथा उसकी माता अर्थात् परिवादिनी उसे 10-12 वर्ष पूर्व अपने मायके फाफामऊ ले गई थी, जहाँ से संजीत (परिवादिनी का पुत्र) गायब हो गया। आवेदक संख्या 1 तथा अन्य ग्रामीणों ने उसकी काफी तलाश की, किन्तु उसका पता नहीं चल सका। साक्षियों के कथन दर्ज किए जाने के पश्चात् पुलिस ने वर्तमान मामले में आवेदकगण की कोई भूमिका नहीं पाई और दिनांक 09.03.2020 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विपक्षी संख्या 2 ने विरोध याचिका प्रस्तुत की, जिसे परिवाद के रूप में माना गया। विपक्षी संख्या 2 का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन तथा साक्षियों के कथन धारा 202 के अधीन दर्ज किए गए। तत्पश्चात् आवेदकगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अधीन समन किया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट ने साक्षियों के कथनों पर विचार नहीं किया और अवैध रूप से आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदकगण को समन कर दिया, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद की विषय-वस्तु तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन दर्ज परिवादिनी के कथन एवं धारा 202 के अधीन दर्ज साक्षियों के कथनों पर विचार करते हुए समन आदेश पारित किया है। अतः वर्तमान आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।

5. मामले के तथ्यों के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकगण के विरुद्ध विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1, इलाहाबाद के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया गया और आवेदकगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 27 वर्ष 2020, धारा 323, 506, 420, 364 भारतीय दंड संहिता, थाना थरवई, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान अरुण कुमार, बच्चा यादव, कमलेश कुमार एवं संतोष नामक साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए। साक्षियों के कथन दर्ज किए जाने के पश्चात् पुलिस ने वर्तमान मामले में आवेदकगण की कोई भूमिका नहीं पाई और दिनांक 09.03.2020 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विपक्षी संख्या 2 ने विरोध याचिका प्रस्तुत की, जिसे परिवाद के रूप में माना गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन कथन तथा धारा 202 के अधीन साक्षियों के कथन दर्ज किए जाने के पश्चात् विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदकगण को समन किया।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं मामले के तथ्यों के परिशीलन से इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। बार में किए गए सभी तर्क तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जिनका इस न्यायालय द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस स्तर पर न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया जाना है, जैसा कि *माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 66; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 426; तथा बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 192* के मामलों में प्रतिपादित विधि के आलोक में किया जाना है। आवेदकगण के विवादित प्रतिरक्षा पक्ष पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपर्युक्त मामले को निरस्त करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अतः उसे निरस्त किए जाने की प्रार्थना एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती है और आवेदन निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

30 मार्च, 2026

आर.एम.के.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"